

E-mail

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक—.....

संख्या-8/आ0 (राज0 उ0)-2-11/2017-.....820/ श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह, तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, रोहतास सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय से बाहर रहना आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-1643 दिनांक 16.05.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. संचालन पदाधिकारी -सह-संयुक्त आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना के पत्रांक-2595 दिनांक-24.09.18 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोप सं0-01 एवं 02 को: प्रमाणित नहीं होता है, निष्कर्षित किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-3760 अनु0, दिनांक-19.11.2018 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी ।

4. श्री सिंह ने दिनांक 14.12.2018 द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन और आरोपी पदाधिकारी द्वारा अल्प अवधि में किये गये कार्य के मद्देनजर श्री सिंह को आरोप मुक्त करते हुए भविष्य के लिए सचेत किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कृष्ण कुमार वर्मा)

सरकार के अवर सचिव,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-07.03.19

ज्ञापांक-8/आ0 (राज0 उ0)-2-11/2017-.....820/

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-07.03.19

ज्ञापांक-8/आ0 (राज0 उ0)-2-11/2017-.....820/

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा-5/आई0टी0 मैनेजर/सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास /औरंगाबाद एवं श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह, तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, रोहतास सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,

बिहार, पटना।